

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षण (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 सितम्बर, 2022

विषय- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी 0 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा संख्या-10 में मै 0 इण्डियन ऑयल कार्पो 0 लि 0 द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069777 हे 0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/44699/2020)

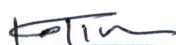
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-08बी/यूपी/06/68/2022/एफसी/146 दिनांक 21.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय आपत्तियां की गई थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-1159/11-सी-एफपी/यूपी/अप्रोच/44699/2020 दिनांक 27.09.2022 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 27.09.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना/अभिलेख की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आम प्रकाश)
अनु सचिव।